

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 1/2019-संघ राज्यक्षेत्र कर

नई दिल्ली, तारीख 29 जनवरी, 2019

सा.का.नि. (अ).- केंद्रीय सरकार, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का 33) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 फरवरी, 2019 वह तारीख नियत करती है जिसको संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का 33) के उपबंध प्रवृत्त होंगे ।

[फा.स. एस-31011/9/2018-एसटी-1-डीओआर-पीटी.1]

(एन गांधी कुमार)
डिप्टी सचिव, भारत सरकार